23/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ प्रति. सं. 1 ता 5 की ओर से वकील श्री अमरजीत सिंह संधु ने वकालतनामा पेश किया। आज दोनों उभय पक्ष ने उप. होकर राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पन्नाराम

RTI राजादेवी

RTI धर्मादेवी

GCMS
2024/748

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

रामकिशन बनाम राजो देवी आदि

किस्म मुकदमा:—88—53—188—209 आरटीए 1955

प्रकरण संख्या:—374/2024
GCMS :- 2024/748

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2024		

राजीनामा पेश होने पर पत्रावली पेशी में ली गई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये वकील वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 8 एमसी खाता नं0 96 प0न0 18/3 (31) कि0न0 16 ता 18, 23/2 ता 25/2 = 1.404 है0 क0अ0क0, प0न0 19/10 (107) कि0न0 1,2,9 ता 25 = 4.807 है0 अ0क0 कुल 6.211 है0 क0अ0क0 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जिसमें वादी 1/2 हिस्सा भूमि यानि 3.1055 है0 खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हैं। जैर वाद रकबा पूर्व में वादी एवं उसके भाई रणसिंह के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज थी। दोनो भाईयो ने आपसी सहमति से जैरवाद रकबा का घरेलू तौर पर विभाजन कर रखा था। वादी की कब्जा काश्त चक 8 एमसी खाता नं0 96 प0न0 18/3 (31) कि0न0 16 ता 18, 23/2 ता 25/2 = 1.404 है0 क0अ0क0, प0न0 19/10 (107) कि0न0 1,10,11,20,21,22/1.518 है0, 23/0.1835 है0 पासा पश्चिम = 1.7015 है0 अ0क0 कुल 3.1055 है0 क0अ0क0 खातेदारी भूमि पर हैं। अतः मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किया जावें।

वादपत्र दर्ज किये जाने पर नोटिस प्रतिवादीगण जारी किये। दोनो पक्षो में राजीनामा होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.12.2024 को स्वयं हाजिर होकर राजीनामा पेश किया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता अमरजीत सिंह संधु द्वारा की गई। दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन करने से यह तथ्य निर्विवाद हैं कि दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा अनुसार जैरवाद रकबा को काश्त कर रहें हैं एवं दोनो पक्षो ने भी मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं। अतः हम लोकहित भावना से मुताबिक राजीनामा दिनांक 16.12.2024 के आधार पर दोनो पक्षो में सहमति होने पर वादपत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन वादी एव एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैं कि:—

वादी रामकिशन:—चक 8 एमसी प0न0 18/3 (31) कि0न0 17/0.127 है0 पासा पश्चिम, 18/0.253 है0, 23/2 में 0.215 है0, 24/2 में 0.108 है0 पासा पश्चिम = 0.703 है0, प0न0 19/10 (107) कि0न0 1,10,11/0.759 है0, 17/0.127 है0 पासा पश्चिम, 18 ता 23/1.518 है0 = 2.404 है0 कुल 3.107 है0 क0अ0क0 खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हैं।

प्रतिवादी नं0 1 व 2 राजो देवी व धर्मा देवी:—चक 8 एमसी प0न0 18/3 (31) कि0न0 25/2 में 0.0695 है0 पासा पूर्वी अ0क0 खातेदारी भूमि के ब0हि0ब0 खातेदार कृषक हैं।

प्रतिवादी नं0 3 पन्नाराम :—चक 8 एमसी प0न0 19/10 (107) कि0न0 2,9,12 ता 16/1.771 है0, 17/0.126 है0 पासा पूर्व, 24,25/0.506 है0 = 2.403 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हैं।

प्रतिवादी नं0 4 कपिल चौधरी:—चक 8 एमसी प0न0 18/3 (31) कि0न0 16/0.253 है0, 17/0.126 है0 पासा पूर्व, 24/2 में 0.107 है0 [illegible] 25/2 में 0.1455 है0 पासा पश्चिम = 0.6315 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हैं।

उपरोक्तानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली नम्बर [illegible] जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सरे इजलास सुना गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:54 IST
Reason: SelfAttested